न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ जिला बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- हनुमान सहाय मीणा आर.जे.एस.
सी.आई.एस. नंबर :- Reg.Cri.Case/280/2022
सी एन आर नंबर :- RJBD140005302022

निर्णय दिनांकः- 09.04.2026

पुलिस थाना इन्द्रगढ़ के मुकदमा संख्या 166/2022 अन्तर्गत धारा 341, 323, 325, 34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 से उदभुत प्रकरण

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री कमलेश कुमार, अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त/अभियुक्तगण	1. **भगवान सहाय** पुत्र गंगाबिशन मीणा उम्र 35 साल, 2. **रणजीत उर्फ लेखराज** पुत्र गंगाबिशन मीणा उम्र 33 साल, 3. **श्रीमती मोटाबाई** पत्नी गंगाबिशन मीणा उम्र 68 साल, निवासीगण श्योदानपुरा पुलिस थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री त्रिलोकीनाथ योगी, विद्वान अधिवक्ता
अपराध की तिथि	08.08.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	08.08.2022
आरोप पत्र की तिथि	28.09.2022
आरोप के विरचना की तिथि	19.10.2023
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तिथि	13.02.2024
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तिथि	09.04.2026
निर्णय की तिथि	09.04.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	09.04.2026

अभियुक्त का विवरणः-

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	भगवान सहाय	-	-	धारा 341, 323, 325, 34 भा.दं.सं. 1860	दोषसिद्धि	01, 06 माह व 02 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000/– रुपये जुर्माना	-
2.	रणजीत उर्फ लेखराज	-	-	धारा 341, 323, 325, 34	दोषसिद्धि	01, 06 माह व 02 वर्ष का साधारण	-

				भा.दं.सं. 1860		**कारावास व 10,000/– रुपये जुर्माना**	
3.	**श्रीमती मोटाबाई**	-	-	धारा 341, 323, 325, 34 भा.दं.सं. 1860	**दोषसिद्धि**	**01, 06 माह व 02 वर्ष का साधारण कारावास व 10,000/– रुपये जुर्माना**	-

<u>अभियोजन साक्ष्य की सूचीः-</u>

<u>(क) अभियोजन साक्षीः-</u>

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अभियोजन साक्षी-1	मोतीलाल	रिपोर्ट साक्षी
अभियोजन साक्षी-2	शांतिबाई	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-3	जोधराज	नक्शामौका साक्षी
अभियोजन साक्षी-4	फौरूलाल	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-5	भूपेन्द्र कुमार	एक्सरे साक्षी
अभियोजन साक्षी-6	रामजीलाल	नक्शामौका साक्षी
अभियोजन साक्षी-7	बाबूलाल	एफआईआर साक्षी
अभियोजन साक्षी-8	मन्नालाल	बयान साक्षी
अभियोजन साक्षी-9	डॉ दिनेश शर्मा	एमएलसी साक्षी
अभियोजन साक्षी-10	बृजेन्द्र सिंह	अनुसंधान साक्षी

<u>(ख) प्रतिरक्षा साक्षीः-</u>

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
-	-	-

<u>(ग) न्यायालय साक्षीः-</u>

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
–	–	–

<u>अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची:-</u>

<u>(क) अभियोजन:-</u>

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
1.	प्रदर्श पी-1	रिपोर्ट	अभि. साक्षी–1
2.	प्रदर्श पी-2	चाक एफआईआर	अभि. साक्षी–1
3.	प्रदर्श पी-3	फर्द नक्शामौका	अभि. साक्षी–1
4.	प्रदर्श पी-4	चोट प्रतिवेदन	अभि. साक्षी–9
5.	प्रदर्श पी-5	चोट प्रतिवेदन	अभि. साक्षी–9
6.	प्रदर्श पी-6	चोट प्रतिवेदन	अभि. साक्षी–9

<u>(ख) प्रतिरक्षा:-</u>

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा

-	-	-	-

(ग) न्यायालय प्रदर्शः-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
-	-	-	-

(घ) आवश्यक वस्तुएः-

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण	प्रमाणित/ सत्यापित द्वारा
–	–	–	–

:: निर्णय ::

न्यायालय द्वारा :

01. हस्तगत प्रकरण का उद्भव प्रार्थी मोतीलाल द्वारा थानाधिकारी थाना इन्द्रगढ़ के समक्ष प्रस्तुत होकर एक रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 पेश किये जाने से हुआ। उक्त रिपोर्ट पर थाना इन्द्रगढ़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 166/2022 दर्ज कर अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325, 34 भा0दं0सं0 में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत अभियोग–पत्र पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिए जाने से हुआ।

02. प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य है कि दिनांक 08.08.2022 को फरियादी ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मेरे गांव के समीप ही एक बाडा है। जिसके मामले में कल रात 7 बजे के करीब शराब के नशे में भगवान सहाय पुत्र गंगाबिशन, रंजीत पुत्र गंगाबिशन, मोटाबाई पत्नी गंगाबिशन, अनिता बाई पत्नी भगवान सहाय, ये सभी व्यक्ति शराब के नशे में गाली–गलौच करते हुए हमें लठ लेकर मारने आये। ये लोग मेरे बाडे को अपना बताकर आये दिन लड़ाई–झगड़ा करते रहते है। उस बाडे पर ये लोग अपना अधिकार जताते है लेकिन बाडे का मेरे पास पट्टा भी है। फिर भी ये लोग लड़ाई–झगड़ा करते है। दोनों भाईयों ने लठ से वार किया जिसके कारण कई चोटें आयी...इत्यादि। उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना इन्द्रगढ़ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 166/2022 दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325, 34 भा0दं0सं0 में अभियोग–पत्र पेश हुआ। जिस पर बाद अवलोकन उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धारा में अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

03. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 325, 34 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रथमदृष्ट्या पाये जाने से अभियुक्तगण

को उक्त धाराओं में आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिसे अभियुक्तगण ने सुन व समझकर अपराध से इनकार किया व अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य में पी.ड.01 मोतीलाल, पी.ड02 शांतिबाई, पी.ड03 जोधराज, पी.ड04 फौरूलाल, पी.ड05 भूपेन्द्र कुमार, पी.ड.06 रामजीलाल, पी.ड.07 बाबूलाल, पी.ड.08 मन्नालाल, पी.ड.09 डॉ दिनेश शर्मा, पी.ड.10 बृजेन्द्र सिंह को परीक्षित कराया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.01 लगायत प्रदर्श पी.06 को पेश कर प्रदर्शित करवाया गया।

05. अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किये जाने पर अभियुक्तगण ने प्रस्तुत आई अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश करना नहीं चाहा। पत्रावली बहस अंतिम हेतु नियत की गई।

06. बहस अन्तिम सुनी गई। बहस के दौरान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क प्रस्तुत किया कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध प्रमाणित है, अतः उन्हें दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

07. इसके विपरीत अभियुक्त अधिवक्ता ने बहस में तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के खिलाफ आरोपित अपराध को प्रमाणित करने में असफल रहा है अतः अभियुक्तगण के खिलाफ मामला प्रमाणित नहीं होने से अभियुक्तगण को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

08. पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारणार्थ न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह हैं कि –

''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 08.08.2022 को समय सुबह 07. 00 बजे या उसके लगभग स्थान ग्राम श्योदानपुरा में अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी मोतीलाल व उसकी पत्नी शांति बाई, पुत्र जोधराज को वांछित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया एवं उनके साथ लठ से मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की तथा परिवादीगण के साथ मारपीट कर उसके हाथ, घुटने, आंख क्षेत्र पर गम्भीर उपहति कारित की?''

यदि हां तो इसके लिए उचित दण्ड क्या दिया जाना चाहिए?

09. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.01 मोतीलाल ने कथन किया है कि करीबन दो–ढाई साल पहले शाम सात–आठ बजे की बात है। रामस्वरूप का लड़का उनके बाडे में जेसीबी और टेक्टर खडा करता था। तभी भगवान सहाय वहां आया और गाली गलौच करने लगा कि यहां जेसीबी और टेक्टर खड़ा नहीं करने दूंगा। उसका लड़का जोधराज भी वहां मौके पर आ गया और उन्होंने भगवान सहाय को समझा–बुझाकर भेज दिया। फिर दूसरे दिन सुबह वह, बुद्धिप्रकाश की मोटरसाइकिल से उसके साथ उसके खेत जा रहा था, उसके बाडे की जालियां वगै. नीचे पडी हुई थी। भगवान सहाय, रणजीत, मोटाबाई, गीताबाई, पास ही बगल के मकान में छुपकर बैठे हुए थे। फिर भगवान सहाय ने उसकी बाथ भर ली और बाकियों ने उस पर लठ बरसाये जिसमें उसका बांया हाथ टूट गया और सिर पर चोट आयी थी। वहां मौजूद मन्नालाल और फोरूलाल ने उसका बीच–बचाव करवाया। जोधराज और उसकी पत्नी शांतिबाई घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंचे तो मोटाबाई ने शांतिबाई के साथ और भगवान सहाय की पत्नी ने जोधराज के साथ मारपीट की। उसके द्वारा दर्ज करायी रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 है, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 02 है, नक्शा मौका घटनास्थल प्रदर्श पी 03 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसकी चोटों का मेडिकल इन्द्रगढ़ अस्पताल में करवाया था।

10. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.02 शांतिबाई ने कथन किया है कि वह श्योदानपुरा की रहने वाली है। गांव के मंदिर के पास उनका कब्जाशुदा बाड़ा है। भगवान सहाय जबर्दस्ती उसके बाड़े पर हक जमाना चाहता है तथा राजीनामा करने के लिए दबाव डालता है। आज से तीन साल पहले वह और उसका लड़का जोधराज घर पर थे तब ही बाड़े की तरफ से उसके पति मोतीलाल की चिल्लाने की आवाज आई। वह और उसका लड़का जोधराज भाग कर गये तो भगवान पुत्र गंगाकिशन तथा रणजीत पुत्र भगवान उसके पति के साथ मारपीट कर रहे थे। उसने बीच–बचाव करने की कोशिश की तो मोटाबाई पत्नी भगवान सहाय ने उसके साथ मारपीट की। तथा भगवान व उसके लड़के रणजीत ने उसके पति के साथ मारपीट की। फौरूलाल और मन्नालाल ने उनको बचाया था। उसकी चोटो का डॉ0 मुआयना हुआ था। जो शामिल पत्रावली है।

11. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.03 जोधराज मीणा ने कथन किया है कि वह गांव श्योदानपुरा का है। गांव में उनका पुराना मकान धंस गया

था। उस जगह उन्होंने पट्टी फर्शी डाल रखी थी। रणजीत ने दारू पीकर उनकी पट्टी फर्शी को तोड़ दिया। फिर उसकी मां ने रणजीत और भगवान सहाय पर गाली निकाली। आज से 3 साल पहले की बात है। सर्दी का समय था। मोटाबाई ने उसके सर में लकड़ी मारी। घटना के समय भगवान सहाय, उसकी मां और लड़का रणजीत था। उसके पिता के साथ उसकी मां के हाथ में और छाती में लगी थी। उसके पिताजी का हाथ तोड़ दिया था। पुलिस ने घटना मौके का नक्शा बनाया था जो प्रदर्श पी 03 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

12. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.04 फौरूलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि गांव शिवदानपुरा की सुबह करीब 10 बजे की बात है। भगवानदास व मोतीलाल के बीच लड़ाई–झगड़ा हो रहा था। वह घटना के वक्त घर पर ही था, आवाज सुनकर भागकर बाहर आया। उसने बीच–बचाव किया।

13. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.05 भूपेन्द्र कुमार सोलंकी ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 08.08.2022 को सी.एच.सी इन्द्रगढ़ में सहायक रेडियोग्राफर के पद पर तैनात था। उस दिन डॉ दिनेश कुमार शर्मा के प्रतिवेदन पर उसने मजरूब मोतीलाल पुत्र रघुनाथ निवासी श्योदानपुरा थाना इन्द्रगढ़ के बाये हाथ का एक्स–रे किया था। एक्स–रे प्लेट शामिल पत्रावली है।

14. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.06 रामजीलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि पुलिस ने मेरे सामने कोई नक्शामौका नहीं बनाया था। दिनांक 14.08.2022 को मेरे सामने कोई नक्शामौका नहीं बनाया था। प्रदर्श पी.03 पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है।

15. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.07 बाबूलाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है वह दिनांक 08.08.2022 को पुलिस थाना इन्द्रगढ़ में ए.एस.आई के पद पर पदस्थापित था, उस दिन वह थाना इंचार्ज भी था, उस दिन मोतीलाल पुत्र रघुनाथ मीणा निवासी शिवदानपुरा ने उपस्थित थाना होकर एक लिखित तहरीर रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट के मजबून से मामला प्रथम दृश्टया अर्न्तगत धारा 341,323,34 भा.द.स. में दर्ज कर तफतीश श्रीबृजेन्द्रसिंह हैडकानि. को

सुपुर्द की थी। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 है, चाक एफ.आई.आर <u>166/2022</u> दर्ज की थी जो प्रदर्श पी 2 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

16. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.08 मन्नालाल ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह ग्राम शिवदानपुरा का रहने वाला है। आज से करीब तीन–चार साल पहले की बात है भगवानसहाय वगै. व मोतीलाल के आपस में झगडा हुआ था। झगडे के समय वह घर पर ही था।

17. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.09 डॉ0 दिनेश शर्मा ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक 08.08.2022 को सी.एच.सी इन्द्रगढ़ में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन थाना इन्द्रगढ़ की तहरीर पर उसने मोतीलाल पुत्र रघुनाथ निवासी शिवदानपुरा के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। जिसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी थी। चोट संख्या 1 सूजन जो बाये घुटने पर कारित थी, चोट संख्या 2 सूजन जो बाये हाथ पर आगे की तरफ कारित थी। चोट संख्या 3 सूजन जो दाये हाथ पर कारित थी। चोट संख्या 4 जो बायी भौह पर कारित थी। चोट संख्या 1,3,4 कुन्द हथियार से कारित की थी। चोट संख्या 2 के लिए एक्स–रे की सलाह दी गयी। बाद एक्स–रे चोट संख्या 2 गंभीर प्रवृति की एंव कुन्द हथियार से कारित होना पायी गयी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 4 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है एवं बाद एक्स–रे उसकी राय है। उसी दिन उसके द्वारा जोधराज पुत्र मोतीलाल निवासी शिवदानपुरा के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। जिसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी थी। चोट संख्या 1 कुचला हुआ घाव जो सिर पर बायी तरफ कारित थी, चोट कुन्द हथियार से कारित थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 5 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसी दिन उसके द्वारा मजरूबा शांतिबाई पत्नी मोतीलाल निवासी शिवदानपुरा के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 6 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

18. अभियोजन साक्ष्य की ओर से गवाह पी.ड.10 बृजेन्द्रसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है वह दिनांक 08.08.2022 को पुलिस थाना इन्द्रगढ़ में हैडकानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन उसे थानाधिकारी इन्द्रगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 166/2022 अतंर्गत धारा 341,323,34 भा.द.स. की पत्रावली तफतीश हेतु दी गयी थी। दौराने अनुसंधान उसके द्वारा गवाह मोतीलाल, जोधराज,

शांतिबाई, फोरूलाल, मन्नालाल के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्व किये थे। दिनांक 14.08.2022 को घटनास्थल का नक्शामौका मूर्तिब किया था, जो प्रदर्श पी 3 है जिस पर उसके हस्ताक्षर है एवं कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन है। सम्पूर्ण अनुसंधान से मुलजिमान भगवानसहाय, रणजीत, मोटाबाई के विरूद्व धारा 341,323,325,34 भा.द.स. का जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर एस.एच.ओ इन्द्रगढ़ को सुपुर्द की थी।

19. **उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के निर्धारण हेतु न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना था कि क्या परिवादी मोतीलाल व उसके पुत्र जोधराज व उसकी पत्नी शांति बाई को साधारण व गम्भीर उपहति कुन्दाले से कारित हुई है।** इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पी.ड.09 डॉ0 दिनेश शर्मा को चिकित्सा अधिकारी के रूप में परीक्षित करवाया गया है। उक्त गवाह ने कथन किया है कि उस दिन थाना इन्द्रगढ़ की तहरीर पर उसने मोतीलाल पुत्र रघुनाथ निवासी शिवदानपुरा के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। जिसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी थी। चोट संख्या 1 सूजन जो बाये घुटने पर कारित थी, चोट संख्या 2 सूजन जो बाये हाथ पर आगे की तरफ कारित थी। चोट संख्या 3 सूजन जो दाये हाथ पर कारित थी। चोट संख्या 4 जो बायी भौह पर कारित थी। चोट संख्या 1, 3, 4 कुन्द हथियार से कारित होकर साधारण प्रकृति की थी। बाद एक्स–रे चोट संख्या 2 गंभीर प्रवृति की एंव कुन्द हथियार से कारित होना पायी गयी। उसी दिन उसके द्वारा जोधराज पुत्र मोतीलाल निवासी शिवदानपुरा के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। जिसके शरीर पर निम्न चोटें पायी गयी थी। चोट संख्या 1 कुचला हुआ घाव जो सिर पर बायी तरफ कारित थी, उक्त चोट साधारण प्रकृति की कुन्द हथियार से कारित थी। उसी दिन उसके द्वारा मजरूबा शांतिबाई पत्नी मोतीलाल निवासी शिवदानपुरा के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था। जिसके शरीर पर कोई जाहिराना चोट का निशान नहीं पाया गया। चोट प्रतिवेदन क्रमशः प्रदर्श पी.04 लगायत पी.06 पर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित कराये जाने के संबंध में कथन किया है। अभियुक्त अधिवक्ता की ओर से इस संबंध में कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की है कि क्यों उक्त चिकित्सा अधिकारी की साक्ष्य पर अविश्वास किया जाना चाहिए। ऐसे में चिकित्सा अधिकारी द्वारा दी गई साक्ष्य पूर्ण रूप से अखण्डनीय रही है। अतः चिकित्सा अधिकारी की राय के आधार पर यह प्रमाणित है

कि परिवादी मोतीलाल, उसकी पत्नी शांतिबाई व उसके पुत्र जोधराज को अभियुक्तगण द्वारा साधारण उपहति कुन्दाले से कारित की गई है।

20. अब न्यायालय को यह देखना था कि क्या उक्त चोटें अभियुक्तगण के द्वारा ही आहतगण के साथ मारपीट करके कारित की गई है। इस संबंध में फरियादी की ओर से पेश रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 में स्पष्ट रूप से **अभियुक्तगण के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराते हुए** उनके द्वारा परिवादी व उसकी पत्नी व उसके पुत्र के साथ शराब के नशे में गाली-गलौच करते हुए लठ से मारपीट किए जाने के संबंध में स्पष्ट रूप से कथन कर रखा है एवं उक्त गवाह जब न्यायालय के समक्ष परीक्षित हुआ तो स्वयं को पी.ड.01 के रूप में परीक्षित करवाते हुए अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि मेरे बाडे की जालियां नीचे पड़ी हुई थी और भगवान सहाय, रणजीत, मोटाबाई, गीताबाई पास ही बगल के मकान में छुपकर बैठे हुए थे। **फिर भगवान सहाय ने मेरी बाथ भर ली और बाकियो ने मेरे पर लठ बरसाये जिसमें मेरा हाथ टूट गया।** वहां मौजूद मन्नालाल व फौरूलाल ने बीच-बचाव किया। जोधराज व मेरी पत्नी शांतिबाई पहुंचे तो उनके साथ भी भगवानसहाय की पत्नी ने मारपीट की एवं आहतगण पी.ड.02 शांतिबाई व पी.ड.03 जोधराज ने भी रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 के तथ्यो की ताईद करते हुए पी.ड.02 ने कथन किया है कि **बाडे की तरफ से मोतीलाल के चिल्लाने की आवाज आयी तो मैं और मेरा लड़का जोधराज भागकर गये तो भगवान, रणजीत मेरे पति के साथ मारपीट कर रहे थे।** बीच-बचाव की कोशिश की तो मोटाबाई ने मेरे साथ मारपीट की एवं अन्य आहत पी.ड.03 जोधराज ने कथन किया है कि मोटाबाई ने मेरे सर में लकड़ी की मारी। घटना के समय भगवान सहाय उनकी मां और उसका लड़का रणजीत था। **मेरे पिताजी के साथ मेरी मां के साथ हाथ में व छाती में लगी थी। मेरे पिताजी का हाथ तोड़ दिया था।** पुलिस ने घटनास्थल नक्शामौका बनाया जो प्रदर्श पी.03 पर मेरे हस्ताक्षर है। वक्त घटना मौजूद गवाह पी.ड.04 फौरूलाल ने कथन किया है कि **भगवानदास व मोतीलाल के बीच लड़ाई-झगड़ा हो रहा था, मैं घटना के वक्त घर पर ही था,** मैं आवाज सुनकर भागकर आया था। मैंने बीच-बचाव किया था। घटनास्थल पर 10-15 आदमी इकठ्ठा हो गए थे एवं पी.ड.06 रामजीलाल को नक्शामौका के गवाह के रूप में परीक्षित कराया है। चूंकि फरियादीगण को चोट आना प्रमाणित है एवं अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह फरियादीगण के

साथ अभियुक्तगण के द्वारा ही मारपीट किए जाने के संबंध में कथन कर रहे है जिसकी ताईद आहत गवाह पी.ड.01, पी.ड.02 व पी.ड.03 कर रहे है एवं फरियादीगण व अभियुक्तगण के मध्य झगड़े की ताईद पी.ड.04 फौरूलाल के द्वारा भी की गई है एवं अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट की जाकर साधारण उपहति कारित किया जाना चिकित्सकीय साक्ष्य से भी समर्थित है।

21. **अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा एक आपत्ति यह ली गई है कि उक्त चोटें गिरने—पड़ने से भी आ सकती है।** इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत यह है कि अभियुक्त अधिवक्ता की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है, जिससे यह दर्शित होता हो कि उक्त चोटें किस प्रकार से गिरने—पड़ने से आयी है एवं किस चीज पर गिरने—पड़ने से आयी है। मात्र मौखिक रूप से कथन किये जाने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि आहतगण को चोटें गिरने—पड़ने से आयी हो, जबकि आहगतण ने स्वयं कथन किया है कि अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ लठ से मारपीट करके चोटें कारित किए जाने का कथन किया है। ऐसे में अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा ली गई आपत्ति सारहीन है। अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य आई है उससे फरियादीगण को साधारण उपहति कुन्दालय से कारित होना प्रमाणित है तथा चिकित्सकीय साक्ष्य से उक्त चोटें अभियुक्त द्वारा कारित किया जाना प्रमाणित है।

22. अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की गई है जिससे यह माना जा सके कि परिवादीगण व अभियुक्तगण के मध्य किसी प्रकार की कोई रंजिश हो जिससे परिवादीगण ने झूठा मुकदमा दर्ज कराया हो। ऐसे में जब फरियादीगण को साधारण उपहतियां कुन्दालय से आना प्रमाणित है एवं अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य पेश की गई है, उससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि उक्त चोट अभियुक्तगण के द्वारा फरियादीगण के साथ मारपीट करके ही कारित की गई है।

23. **अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा एक अन्य आपत्ति यह ली गई है कि परिवादी ने कोई स्वतंत्र गवाह न्यायालय के समक्ष परीक्षित नहीं करवाया है। जो भी गवाह परीक्षित हुए हैं, वह सभी गवाह परिवार के ही सदस्य है।** अतः इस संबंध में न्यायालय का विनम्र मत यह है कि गवाह पी.ड.01 स्पष्ट रूप से अपने बयानों में यह कथन कर रहा है कि वहां मौजूद मन्नालाल व

फौरूलाल ने बीच–बचाव कराया एवं जब फौरूलाल परीक्षित हुआ तब उसने लड़ाई झगड़ा होने, घटना के बक्त मौजूद होने व आवाज सुनकर बाहर आने पर बीच–बचाव करने के तथ्य की ताईद मुख्य परीक्षण में की है। सर्वप्रथम तो परिवादी ने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 में किसी के द्वारा बीच–बचाव किया गया हो यह कथन नहीं किया है। साथ ही यह भी स्वाभाविक है कि यदि दो परिवार के लोगों के मध्य झगड़ा होता हो तो आसपड़ोस में व्यक्ति ऐसे झगड़े से बचने का ही प्रयास करता है और वह बीच में किसी प्रकार का बीच–बचाव कर उलझन में नहीं पड़ने का प्रयास करता है। साथ ही कानूनी कार्यवाही से भी दूर रहने का प्रयास करता है। साथ ही, सभी गवाह एक परिवार सदस्य होने के आधार मात्र पर अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य आयी है उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता एवं अभियुक्त अधिवक्ता का यह दायित्व था कि वह न्यायालय के समक्ष इस तथ्य को साबित करता कि उक्त गवाह अभियुक्त के विरुद्ध झूठी साक्ष्य क्यों देंगे। इस संबंध में कोई साक्ष्य अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा नहीं दी गई है। अतः अभियुक्त अधिवक्ता द्वारा ली गई आपत्ति अस्वीकार्य है।

24. अतः उपरोक्त समस्त विवेचनानुसार यह प्रमाणित है कि अभियुक्तगण द्वारा ही मारपीट करके उक्त उपहतियां मजरूबान को कारित की गई है।

25. अतः अभियोजन पक्ष अपनी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325, 34 भा.दं.सं. में अपराध प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनांक 08.08.2022 को समय सुबह 07.00 बजे या उसके लगभग स्थान ग्राम श्योदानपुरा में अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में परिवादी मोतीलाल व उसकी पत्नी शांति बाई, पुत्र जोधराज को वांछित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित किया एवं उनके साथ लठ से मारपीट कर साधारण उपहतियां कारित की तथा परिवादीगण के साथ मारपीट कर उसके हाथ, घुटने, आंख क्षेत्र पर गम्भीर उपहति कारित की। अतः अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 325, 34 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध घ ोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: <u>आदेश</u> ::

26. परिणामस्वरूप **अभियुक्तगण 1. भगवान सहाय** पुत्र गंगाबिशन

मीणा उम्र 35 साल, **2. रणजीत उर्फ लेखराज** पुत्र गंगाबिशन मीणा उम्र 33 साल, **3. श्रीमती मोटाबाई** पत्नी गंगाबिशन मीणा उम्र 68 साल, निवासीगण श्योदानपुरा पुलिस थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325, 34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत प्रतिभूति व बंध–पत्र भार से उन्मोचित किए जाते हैं।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़

27. सजा के बिंदू पर सुना गया। अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध को दृष्टिगत रखते हुए यथोचित सजा से दंडित किए जाने का निवेदन किया जबकि अभियुक्तगण द्वारा निवेदन किया कि उनकी पूर्व की दोषसिद्धि भी प्रमाणित नहीं है अतः आरोपी को परीवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर लाभ प्रदान किया जावें।

28. वर्तमान में इस प्रकार के मारपीट के मुकदमों में निरंतर बढोतरी हो रही है। मजरूबान को गम्भीर उपहति कारित हुई है। यदि अभियुक्तगण को परीवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो भविष्य में ऐसे अपराधों को प्रोत्साहन ही मिलेगा साथ ही समाज में गलत संदेश जायेगा। ऐसे में अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तगण को परीवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना अथवा अभियुक्तगण के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है अतः उन्हें कारावास के दंड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: दण्डादेश :–

29. अतः **अभियुक्तगण 1. भगवान सहाय** पुत्र गंगाबिशन मीणा उम्र 35 साल, **2. रणजीत उर्फ लेखराज** पुत्र गंगाबिशन मीणा उम्र 33 साल, **3. श्रीमती मोटाबाई** पत्नी गंगाबिशन मीणा उम्र 68 साल, निवासीगण श्योदानपुरा पुलिस थाना इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0 को अपराध अन्तर्गत धारा 341, 323, 325, 34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर प्रत्येक अभियुक्त को धारा 341 भा.दं.सं. के अपराध के तहत 01 माह के साधारण कारावास व धारा 323 भा.दं.सं. के अपराध के तहत 06 माह के साधारण कारावास व धारा 325 भा.दं.सं. के अपराध के तहत 02 वर्ष के साधारण कारावास तथा 10,000/– रुपये जुर्माने के दण्ड से

दण्डित किया जाता है। अदम अदायगी अर्थदण्ड 01 माह के अतिरिक्त साधाराण कारावास से दण्डित किया जाता है। अभियुक्तगण के पूर्व में जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

30. अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा में भुगताई गई अवधि को धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानुसार मूल सजा में से नियमानुसार मुजरा की जावे। अभियुक्त की सभी सजाएं साथ–साथ चलेगी।

31. अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि अभियुक्तगण अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति बाबत् धारा 437ए सीआरपीसी के तहत 10,000/– रूपये की जमानत व इसी राशि का मुचलका पेश करे।

32. अभियुक्तगण के नाम सजा वारण्ट बनाया जावे। निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को दिलाई जावे।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़

33. निर्णय एवं दण्डादेश आज दिनांक 09.04.2026 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सहाय मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, इन्द्रगढ़